

Request-139

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: November 11, 2002.

NO. 1306 /DR(S)/2002

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 5310/II-4-2002-45(28)/97 T.C. dated October 19, 2002, Sri Ram Swaroop Saroj, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Mau.

BY ORDER OF THE COURT.

O. N. KHANDELWAL
REGISTRAR GENERAL

No. 268 / DR(S)/ 2002, Dated: Allahabad: November 11, 2002

Copy forwarded for information & necessary action to.

1. Pramukh Sachiv, U.P Shasan, Niyukti Vibhag, Lucknow.
2. Pramukh Sachiv, Nyaya & Vidhayee Vibhag, U.P. Shasan, Lucknow
3. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P Lucknow
5. The Joint Director (Treasuries), Camp Officer, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
6. The District & Sessions Judge, Mau with reference to U.P. Government Appointment/Notification No. 5310/II-4-2002-45(28)/97 T.C. dated October 19, 2002 (photo copy enclosed).

The candidate Civil Judge, Junior Division mentioned above may be permitted to join his duty in your Judgeship of his posting.

The certificate of taking over charge by the aforesaid candidate Civil Judge, Junior Division may please be sent to the Deputy Registrar (Services), High Court, Allahabad forthwith.

It is to add that the candidate Civil Judge, Junior Division may be given training as per instructions contained in Court's Circular letter No. 55/IV F-80, dated May 30, 1951 and No 21 dated February 14, 1969, till he is directed to proceed to take over training in the Institute of Judicial Training & Research, U.P., Lucknow.

It is further to add that the candidate Civil Judge, Junior Division may be attached to the Senior Civil Judge, Junior Division/Civil Judge, Senior Division, Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate at the headquarter or out-lying as the case may be to receive training before starting his regular work. He should sit with them for four weeks and watch proceedings in the courts in order to gain experience of actual procedure followed in the trial cases, he should take notes of the cases attended by him, frame issues, take notes of evidence, write judgment and show the same to them. His notes should be perused by them or by Senior Officers so instructed by the District Judge every week and comments should be noted thereon for his instruction and guidance. He should also attend the court of a Judge hearing Civil Appeal for another week. He should also attend the court of District Judge for at least four Saturdays or on four other days when the District Judge do miscellaneous work. He should be given an opportunity to inspect various offices and familiarise himself with the office routine.

Req. no. 139

He should also be given training in Criminal work for three weeks. For two weeks he should sit with a Senior Magistrate trying cases and for one week with a Magistrate who commits cases to sessions. He should take notes of the evidence and write judgments which should be perused by the District Judge or by an Additional District & Sessions Judge nominated by the District Judge, and comments should be noted thereon for his guidance.

All the notes prepared by him with comments should be forwarded to the Court.

- 7. Sri. Sri Ram Swaroop Saroj, Varisth Lipik, Mandal Prabandhak Uttar Railway, Allahabad along with photo copy of Government Appointment/Notification No 5310/II-4-2002-45(28)/97 T.C. dated October 19, 2002.

He shall take over charge of his posting at Mau immediately.

He should note that his appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Seva is purely temporary and until he is absorbed and appointed as permanent Civil Judge, Junior Division, he shall be subjected to general conditions of services applicable to temporary Government Servant contained in Government Notification No 20175-Niyukti-3, dated June 11, 1975 and also under the condition laid down in Government Appointment/Notification No. 5310/II-4-2002-45(28)/97 T.C. dated October 19, 2002.

- 8. The Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow with the request to place this Notification before the Hon'ble Senior Judge and Hon'ble the Administrative Judges for their Lordships' kind perusal.
- 9. The Registrar (Protocol), High Court, Allahabad
- 10. The Joint Registrar (Confidential), High Court, Allahabad
- 11. The Joint Registrar (Budget), High Court, Allahabad
- 12. The Officer On Special Duty (Computer), High Court, Allahabad
- 13. The Deputy Registrar (General), High Court, Allahabad
- 14. The Section Officer (Admin. A-3) Section, High Court, Allahabad
- 15. The Director, Printing and Stationery, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette
- 16. P.S. to Hon'ble Administrative Judge, Mau with the request to place this Notification before Hon'ble the Administrative Judge, Mau.

BY ORDER OF THE COURT,

(Signature)
 (S.K. SRIVASTAVA)
 DEPUTY REGISTRAR

निदेशक, कोषागार निदेशालय 3090 सिविल कार्यालय, नवीन कोषागार भवन इलाहाबाद ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मऊ को इस मंतव्य सहित प्रेषित किया अपने जन्मपद में तैनात किये जा रहे अभ्यर्थी द्वारा योगदान प्रस्तुत करने पर महा निबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा शासन को नियुक्ति अनुभाग-4 को तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करें।

6 - निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान 3090 गौमतीनगर लखनऊ।

7 - न्याय अधीनस्थ न्यायालय। अनुभाग-1।

8 - प्रमुख सचिव न्याय एवं विधायी विभाग 3090 शासन ।

9 - श्री रामस्वरूप सरोज, वरिष्ठ लिपिक, मंडल प्रबन्धक उत्तर रेलवे, इलाहाबाद

को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महा निबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित करें तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते है तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में उनका कोई दावा फिर इस सेवा में नियुक्ति के लिये नहीं रहेगा। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महा निबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा प्रमुख सचिव 3090 शासन नियुक्ति अनुभाग-4 को तत्काल भेजे। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज।जू०डि०। के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थाई रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान 3090 लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

अभ्यर्थी जब तक सिविल जज।जू०डि०।के पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं किया जाता है तब तक वह अस्थायी कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिसूचना संख्या-20/1/71 नियुक्ति-3 दिनांक 11-6-75 में दी गयी शर्तों के भी अधीन रहेगी। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

10- गाई बुक ।

आज्ञा से,

2002

रामकृष्ण प्रसाद ।

विशेष सचिव

012

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-5376/टो-4-2002-451231/97टीओओ
दिनांक: 14 अक्टूबर, 2002

Request-139

नियुक्ति/विज्ञापित

मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर अभ्यासना या चिका
संख्या-211/2001 श्री रागस्वरूप सरोज बनाम प्रदीप शुक्ला व अन्य में मा० न्यायालय
के पारित आदेश दिनांक 22-7-2002 का समाहर करते हुये और मा० उच्च न्यायालय
के श्री मा० पत्र संख्या-198/डी०आर०।एस।/2002 दिनांक 22-8-2002 की संस्तुति
के आधार पर उ०प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ०प्र०
न्यायिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 1990 के आधार पर अनुव्यक्ति
जाति के चयनित अभ्यर्थी श्री रागस्वरूप सरोज सम्प्रति वरिष्ठ लिपिक, गण्डल प्रबन्धिक,
उत्तर रेगवे, इलाहाबाद को उक्त सेवा में अस्थायी सिविल जज 100 डि० के पद पर
नियुक्त करते हुये जनपद न्यायालय, मउ में तैनात किया जाता है।

2- उक्त-नियुक्ति इस परीक्षा/नियुक्तियों के सम्बन्ध में मा० न्यायालयों
में दायर या चिकाओं में पारित अन्तिम निर्णयों के अधीन होंगे तथा उनकी
पारस्परिक ज्येष्ठता इस सेवा में पहले नियुक्ति किये गये अथवा बाद में नियुक्त किये
जाने वाले अभ्यर्थियों के साथ बाद में निर्धारित की जायेगी।

राजेश्वर मौनवाल
मुख्य सचिव।

संख्या - 111/टो-4-2002-तददिनांक।

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को उ०प्र० गजट के अग्रणी
हिन्दी उद्घाटन अंक में प्रकाशनायें।
 - 2- महा निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके अ०पत्र संख्या-
198/डी०आर०।एस।/2002 दिनांक 22-8-2002 के संदर्भ में इस
विज्ञापित की प्रति तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा में
सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन पत्र संलग्नको सहित इस मन्तव्य के
साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थी यदि मा० उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति
समय सीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत
नहीं करता है, तो उसकी स्थिति से इसका को तुरन्त अलग कराने का
कार्य करें।
- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-111/3/
टी-3/93-94 दिनांक 15-4-2000 के संदर्भ में।

726

D.R.(S)

Legn. Gen
21.10.2002

50(1)

22.10.2002

Dr. Purshkar
23-10-2002

...2/-

RP.1057
08.09.03
(70)

Request-139

पंजीकृत

संख्या-3992/दो-8-2003-84(2C)/EG

प्रेषक,

जय प्रकाश पाल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपनिबंधक, (सेवा)
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: 1 सितम्बर, 2003

विषय:- श्री रामस्वरूप सरोज, सिविल जज (जू०डि०) मऊ का मूल आवेदन उफलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-966/डी०आर०(एस०)/2003 दिनांक 26.7.2003 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे उ० प्र० न्यायिक सेवा परीक्षा 9660 के सफल अभ्यर्थी श्री रामस्वरूप सरोज, की सिविल जज (जू०डि०) मऊ के पद पर तैनाती के फलस्वरूप श्री रामस्वरूप सरोज का वॉछित मूल आवेदन पत्र संलग्नकर उफलब्ध कराया जा रहा है।
संलग्नक:- यथोपरि (मूल रूप में)

भवदीय,

(जय प्रकाश पाल)

अनु सचिव

①

DR(S)

09 SEP 2003

S.O.S

AKVarm

DR(S)
10-9-03

Urgent


Sri S.K. Pushkar,

Pl do the needful?

atn/s


10.9.03

He S-O(S)



31/884

Request-139



नि: शुल्क

जयदेव
राहन 8/6/92

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

अनुमान अधिकारी,

आवेदन-पत्र

लोक सेवा आयोग, (अभ्यर्थी अपने हाथ से संलग्न अनुदेशों के अनुसार भरे)

विज्ञापन संख्या 2-1/5-2/91-92

विभाग संख्या

आवेदन स्वीकार किए

जाने की अन्तिम तिथि

<p>1---पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं।</p>	<p>मुंसिफ परीक्षा 1990</p>
<p>2---अभ्यर्थी का नाम (क) हिन्दी में (ख) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)</p>	<p>रामस्वरूप सरौज RAMSWAROOP SARAJ</p>
<p>3---डाक का पूरा पता जिस पर अभ्यर्थी से पत्र व्यवहार किया जा सके (पते में किसी परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग के संबंधित विभाग को भेजें।)</p>	<p>रामस्वरूप सरौज एलएड इलाहाबाद जीए A/67, गौविन्दपुर कालोनी (इन्कम टैक्स कालोनी) इलाहाबाद</p>
<p>4---ग्राम/नगर, जिला तथा राज्य का नाम जहां का अभ्यर्थी स्थायी निवासी है।</p>	<p>ग्राम - बारडीह पोस्ट - पट्टी जिला - प्रतापगढ़ (उत्तर-प्रदेश)</p>
<p>5---जन्म-तिथि (इंसेवी सन् में)</p>	<p>14-07-1957 (चौदह जुलाई इन्नीस में सत्तावन)</p>
<p>6---अभ्यर्थी के पिता/पति का--- (क) नाम (ख) जन्म स्थान (ग) पता (यदि मृत हों तो अन्तिम पता) (घ) क्या उन्होंने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली ? यदि हां, तो पूरा विवरण दें।</p>	<p>(क) श्री भगवान राम सरौज (ख) ग्राम-बारडीह पट्टी, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) (ग) ग्राम-बारडीह पट्टी, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) (घ) नहीं</p>
<p>7---क्या अभ्यर्थी तथा/अथवा अभ्यर्थी के पिता/पति जन्म तथा/अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं ? यदि नहीं तो पूरा विवरण दें और आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें।</p>	<p>जन्म से भारतीय नागरिक</p>

8---(क) क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं ? उत्तर 'हां' या 'नहीं' में दीजिए । यदि हां तो जाति। वर्ष का पूरा विवरण दें तथा निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण पत्र संलग्न करें । (देखें सामान्य अनुदेशों के सूचना पत्रक । का स्तम्भ) ।

(क) हां। नहीं
अनुसूचित जाति
पासी

(ख) क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ण। जाति को आयु सीमाओं में दायें छूट का लाभ चाहते हैं ? यदि हां तो जाति। वर्ण का पूरा विवरण दें और निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण संलग्न करें । (देखें सूचना पत्रक। सामान्य अनुदेशों का स्तम्भ) ।

(ख) हां। नहीं
अनुसूचित जाति
पासी

9---(क) क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं ?

(क) विवाहित
(ख) नहीं

(ख) यदि हां तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं (पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) अथवा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी एक पत्नी पहिले से ही जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिए)

10---सभी शैक्षिक तथा। अथवा प्राविधिक परीक्षाओं, जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, तथा उन उपाधियों का पूरा विवरण :---

परीक्षा या उपाधि	विषय	श्रेणी	वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	प्राप्त विशिष्टता का विवरण	प्रदत्त प्रमाण-पत्र संख्या
हाई स्कूल	हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, नागाल, संस्कृत	द्वितीय	1975	42-4	कुछ नहीं	2, 3
इंटरमीडिएट	हिन्दी, भाषाशास्त्र, नागाल, गणित, जीवशास्त्र, संस्कृत	द्वितीय	1977	44-4	✓	4, 5
स्नातक	हिन्दी, आर्य समाज, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत भाषा	द्वितीय	1979	55-57	✓	6, 7
स्नातकोत्तर	राजनीतिशास्त्र	द्वितीय	1981	44-45	✓	9, 10
अन्य शैक्षिक/प्राविधिक ग्रहण/प्रौ/सोधकार्य का पूरा विवरण	एलएलबी (विषय-विषय)	द्वितीय	1984	52-35	✓	11, 12

11---खेलकूद, शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा। अथवा पाठ्येत्तर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो, पूरा विवरण दें तथा प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।
राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय सेवा योजना
प्रमाण-पत्र
इकाई पड़ी, पृ. 147, 16
प्रमाण-पत्र

१२—अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण नीचे दें :—

पद का नाम या नियुक्ति का स्वरूप	नियुक्ति का स्थान	सेवायोजक का नाम तथा पूरा विवरण	प्रवेश तिथि	छोड़ने की तिथि	वेतन तथा वेतन क्रम
कारिष्ठ लिपीक	मण्डल रेल प्रबंधक उस रेल इलाहाबाद	मण्डल रेल प्रबंधक उस रेलवे इलाहाबाद	12.8.88	—	(1200-2098) RPS

१३—अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा वरीयान अर्हताओं से सम्बन्धित निम्न विवरण दे —

अनिवार्य	प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या	वरीयान	प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या
१— मुंसिफ पद		१— मुंसिफ पद	
२— शाखा लाल		२—	
३—		३—	

14---क्या अभ्यर्थी ने---

(1) टैरीटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है ?

हाँ/नहीं

प्रमाण-पत्र संख्या

(2) एन0 सी0 सी0 का 'बी' सर्टीफिकेट प्राप्त किया है ?

हाँ/नहीं

प्रमाण-पत्र संख्या

15---(क) क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है ? यदि हाँ तो पूरा-पूरा विवरण दें ।

X

(ख) क्या अभ्यर्थी कभी संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा वारित अथवा अवैध घोषित किया गया है ? यदि हाँ तो विवरण दें ।

X

(ग) क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्यतः सेवा निवृत्त किया गया है ? यदि हाँ तो विवरण दें ।

X

--आवेदन/परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण दें :--

(क) बैंक/डाकघर का नाम

(ख) बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर

संख्या

(ग) तिथि

धनराशि

१७—यदि अभ्यर्थी अपने चुनाव के सम्बन्ध में आयोग की कोई विशेष अहंता/अनुभव देना चाह जो ऊपर दिये गये स्तम्भों आया हो तो यहां या एक अलग से विवरण दें और उसे आवेदन-पत्र के साथ नत्थी कर दें ।

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा :—

मैं इस बात की घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन-पत्र में जो वर्णन है, वह मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है और यदि उसमें बयाव भूठा या अधूरा पाया जाय तो मैं अवाज ठहरा दिया/दी जाऊँ और यदि गया / हो गई हूँ तो सेवा से हटा दिया/दी जाऊँ ।

अभ्यर्थी का
हस्ताक्षर

रामस्वरूप सरोज
(~~राम~~)

पूरा नाम राम स्वरूप सरोज

तथा पता राम लाल जी १०८/६९

गोविन्दपुर कालोनी
(इन्कम टैक्स कालोनी)
इलाहाबाद

*जो लागू न हो उसे काट दिया जाय ।

Request-139

प्रमाणिकरण प्रपत्र
 ATTESTATION FORM

चेतावनी :-

(१) इस प्रपत्र में कोई झूठी सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना अनर्हता (Disqualification) समझी जायगी और इससे उम्मीदवार सरकार के मातहत नौकरी के लिए अनुपयुक्त (Unfit) समझा जा सकता है।

(२) यदि उम्मीदवार इस प्रपत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद निरुद्ध (Detained), सिद्धदोष (Convicted), वारित (Debarred) आदि किया जाय, तो उसके व्योरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सूचित किये जाने चाहिए। एसा न करने पर यह समझा जायगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छिपाई गई है।

१-पूरा नाम, उपनामों के साथ यदि कोई हो रामस्वरूप सरोज
 २-पिता का पूरा नाम, उपनामों के साथ, यदि कोई हो, तथा सेवा का पद-
 नाम यदि कोई हो श्री भगवान राम सरोज
 ३-निम्नलिखित की राष्ट्रीयता--

पिता भारतीय माता भारतीय
 पुत्र भारतीय पत्नी भारतीय
 निम्नलिखित का जन्म-स्थान--

पति ग्राम बनपुरा, पीठ कन्हाड़
 ४-घर का पूरा पता हनुमान गंज, पीठ खलाफाद (3858)

(अर्थात् गांव, थाना तथा जिला/सड़क, मार्ग या गली, मकान नं० सहित) ग्राम - बारडीह,
पीठ कन्हाड़, पीठ खलाफाद (3858)
 यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश में पता तथा भारत में प्रव्रजन (Migration) करने की तारीख यहां दी जाय X

५-वर्तमान पूरा पता एल० आइ० जी० १/६१, गौरीन्दपुर कालोनी

६-पिछले पांच वर्षों के पते एल० आइ० जी० १/६१, गौरीन्दपुर कालोनी

७-आयु तथा जन्म की तारीख (यदि उम्मीदवार मैट्रिक्यूलेंट हो तो उसकी मैट्रिक्यूलेशन के समय का आयु दी जाय) ३१ वर्ष उमाह, 17 वर्ष 11 माह 16 दिन

८-शैक्षिक अर्हताये, जिसमें उम्मीदवार को १५ वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और साथ में स्कूलों तथा कालेजों में व्यतीत किये गये वर्ष दिये जाय :-

स्कूल/कालेज का नाम, पूरे पते के साथ	प्रवेश का दिनांक	छोड़ने का दिनांक	परीक्षा, जो पास की हो
1) एल० आइ० जी० १/६१	1979-74	1995	एल० आइ० जी० १/६१
2) एल० आइ० जी० १/६१	1975	1977	एल० आइ० जी० १/६१
3) एल० आइ० जी० १/६१	1977	5-10-97	एल० आइ० जी० १/६१
4) एल० आइ० जी० १/६१	1980	19-10-82	एल० आइ० जी० १/६१
5) एल० आइ० जी० १/६१	1983	1-6-86	एल० आइ० जी० १/६१

९--कार्यालय या फर्म के, यदि कोई हो, पूर्ण विवरण तथा पते, जहां उम्मीदवार ने पहले काम किया हो या जहां वह इस समय काम कर रहा हो--

पद का नाम, जिस पर काम किया हो या कर रहा हो अथवा कार्य का विवरण	अवधि		कार्यालय, फर्म या संख्या का पूरा पता	पिछली नौकरी छोड़ने के पूरे कारण
	से	तक		
कारिफ लिमिटेड	10-1-88	अवकाश	मंडल रोड, पुलवेल 38 20 इलाहाबाद	X

१०--इलाके के ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या ऐसे व्यक्तियों का हवाला जो उम्मीदवार को जानते हैं ^{जो आ स्टोकेविले LIG-70 PWD}
^{जो आ स्टोकेविले LIG-69 PWD}

११--(क) क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये गिरफ्तार अभियोजित (Prosecuted), निहद्ध (Kept in detention), अथवा आवद्ध (Bound), अर्थदंडित (Fined), दोषसिद्ध किये गये या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा चयनों में सम्मिलित होने के लिये वारित/अनर्ह किये गये या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी/संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिए वारित या बहिष्कृत (रिस्ट्रिकेट, किये गये)?

(ख) क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ न्यायालय, विश्व-विद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी/संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है?

यदि (क) या (ख) का जवाब हां है, तो वाद, गिरफ्तारी, निरोध, अर्थ-दण्ड, दोषसिद्ध, दण्डादेश आदि का पूरा विवरण तथा इस प्रपत्र को भरते समय न्यायालय/ विश्वविद्यालय/शिक्षा प्राधिकारी आदि के समक्ष विचाराधीन वाद का प्रकार दिया जाय--

(कृपया प्रमाणीकरण प्रपत्र के शीर्षक पर चेतावनी भी देखें)

(प्रमाण-पत्र, जिस पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे)

में प्रमाणित करता हूँ कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है ऊपर दी गई सूचना सही और पूर्ण है। मैं ऐसी किन्हीं परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जो सरकार के मातहत किसी नौकरी के वास्ते मेरी उपयुक्तता को कम कर सकते हैं

तारीख-- 17-10-99

स्थान-- इलाहाबाद

उम्मीदवार के हस्ताक्षर ।

पी० ए० यू० पी०--38 लो० से० आ०--10-11-32--2,00,000 (हिन्दी) ।

Request-139

No. 782-E/EC-5/R, S. Saroj/Loose/NOC/94
Dated:-07.09.1994.

Office of the,
Divl. Rly. Manager,
N. Rly. Allahabad.

" TO WHOM IT MAY CONCERN "

This office has got 'No Objection' in appearing of Shri Ram Swaroop Saroj, Sr. Clerk of this office in the Interview for the post of Munsif Magistrate (Exam -1990) to be conducted by Public Service Commission, Allahabad.

S. Saroj

for Divisional Railway Manager,
Northern Railway, Allahabad.

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ।

Request-139

संख्या मेमो/ एफ0वे0

1417

दिनांक मार्च 6, 1987

तहसीलदार पट्टी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र
 दिनांक 1-7-86के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम स्वल्प सुत
 श्री भगवत राम नि0 ग्राम बीबीपुर बारडीह परगना व तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़
 उ0प्र0 राज्य की शासी जाति के व्यक्ति हैं जिसे सविधान अनुसूचित जाति आदेश
 1950 जैसा कि समय-समय पर सशोधित हुआ । सविधान अनुसूचित जाति आदेश
 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गयी है ।

श्री राम स्वल्प तथा उनका परिवार उ0प्र0 राज्य के ग्राम
 बीबीपुर परगना व तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में सामान्यतया रहता है ।

Attested

Sr. Medical Officer
C. G. H. S.
Allahabad

17/12/84

सन्त लाल
 अपर जिलाधिकारी,
 प्रतापगढ़ ।

Request-139

हाई स्कूल १९७५

रामराज इण्टरमीडिएट कालेज पट्टी, प्रतापगढ़

संख्या.....

दिनांक.....

परिषद् द्वारा संचालित १९७५ की हाई स्कूल परीक्षा में संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित

अनुक्रमांक द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण।

बर्ग का नाम

परीक्षार्थी द्वारा लिये गये विषयों के नाम	विषय के लिये निर्धारित अंक	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	चतुर्थ प्रश्न-पत्र	योग	क्रियात्मक विषय			कुल योग	परीक्षाफल इस स्तम्भ की अनावश्यक प्रविष्टियाँ काट दी जायें
							प्रथम	द्वितीय	योग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
(१) हिन्दी	१००	१२	१२	१६	-	४०	-	-	-	४०	उत्तीर्ण श्रेणी उत्तीर्ण
(२) गणित/गृह-विज्ञान	१००	२०	२०	-	-	४०	-	-	-	४०	विशेष योग्यता X
(३) अंग्रेजी	१००	१०	१०	-	-	३३	-	-	-	३३	कृपांक-२
(४) गणित	१००	२२	१८	-	-	४०	-	-	-	४०	अनुत्तीर्ण X
(५) अंग्रेजी	१००	२२	१२	-	-	३४	-	-	-	३४	पूरक परीक्षा का अधिकारी है
(६)											स्वतः परीक्षार्थी का अधिकारी है

सम्पूर्ण प्राप्तांक (शब्दों में)

उत्तीर्ण (अंकों में)

परीक्षाफल के सम्बन्ध में आवश्यक

(१) प्रत्येक विषय का न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत है। जिन विषयों में लिखित एवं क्रियात्मक परीक्षा के लिये न्यूनतम उत्तीर्णांक विवरण पत्रिका (Prospectus) निर्धारित में है, उनमें परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिये दोनों में अलग-अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(२) विशेष योग्यता पाने के लिये किसी विषय के सम्पूर्ण प्राप्तांक योग में ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

(३) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी होने के लिये सम्पूर्ण योग क्रम से क्रमशः ६०, ४३ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिये।

(४) यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा उसका सम्पूर्ण प्राप्तांक योग ४० प्रतिशत और वह केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है, जिसमें उसने २५ प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं किये हैं, तो वह पूरक परीक्षा का अधिकारी है। यदि कोई परीक्षार्थी किसी ऐसे विषय में अनुत्तीर्ण है, जिसमें लिखित, प्रयोगात्मक अथवा दोनों में न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित हैं तो उसे पूरक परीक्षा का अधिकारी घोषित करने के लिये उस विषय के योग में कम से कम २५ प्रतिशत (तथा सम्पूर्ण योग में ४० प्रतिशत) अंक प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि यह सुविधा विषय के लिखित अथवा प्रयोगात्मक प्राप्तांक पर विचार न करके केवल विषय योग के आधार पर दी जाती है।

(५) ऐसे सभी परीक्षार्थी जो पूरक परीक्षा के अधिकारी घोषित किये गये हैं, तथा वह भी जो केवल एक विषय में २५ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं, स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी हैं। उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण बिना शुल्क के ही किया जायगा। अतः उन्हें वांछित शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि वे इसके लिये शुल्क जमा कर देंगे, तो उसे तौलिया नहीं जायेगा।

Attested
Sr. Medical Officer
C. S. H. S. A. M.
Allahabad
11/10/94

17/10/94
505
400
405

इण्टरमीडिएट परीक्षा १९७७

भाष्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

Request-139 (4)

रामराज इण्टरमीडिएट कालेज पट्टी, प्रतापगढ़

संख्या ११८

दिनांक ६-६-७७

संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी राम स्वरूप शर्मा (पारिभाषिक)

अनुक्रमांक १५७६८७

द्वारा परिषद् की इण्टरमीडिएट की परीक्षा, १९७७ में विभिन्न विषयों में प्राप्त किये गये अंकों का विवरण

वर्ग कक्षा द्वितीय

परीक्षार्थी द्वारा लिये गये विषय	विषय के निर्धारित अंक	वाणिज्य प्रथम										वाणिज्य द्वितीय					
		प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	अनुयोग	क्रियात्मक	आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी		तंकण हिन्दी/अंग्रेजी				अनुयोग	विशेष योग			
							प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	चतुर्थ प्रश्न-पत्र					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
१. इतिहास	१००	१७	१४	१३	४४												४४
२. इतिहास	१००	२०	१८		३८												३८
३. नायक	१००	२३	१८		४१												४१
४. शिक्षा	१००	२१	३२		५३												५३
५. जलसूत्र	१००	१२	१४		४६												४६

सम्पूर्ण प्राप्तांक शब्दों तथा अंकों में—

२०१

२२२

परीक्षाफल (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, श्रेणी या अनुत्तीर्ण)	कृपांक	विशेष योग्यता	नंद सम्मान सहित उत्तीर्ण है तो यहाँ उल्लेख कीजिये	क्या पूरक परीक्षा का अधिकारी है? यदि हाँ तो विषय	क्या निःशुल्क अंशानुसंधान का अधिकारी है?
तृतीय	—	—	—	—	—

नोट— प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल का निम्न ठीक हुआ है अथवा नहीं, इसकी जांच परीक्षार्थी नीचे दिये नियमों के आधार पर स्वयं भी कर लें और यदि कोई त्रुटि हो तो प्रधानाचार्य/केन्द्र-व्यवस्थापक से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके उसका निराकरण करा लें अथवा भूल सुधार में विलम्ब हो सकती है, जो परीक्षार्थी के लिये अहितकर होगा। परिषद् कार्यालय में जांच के फलस्वरूप यदि कोई त्रुटि पाई जायगी तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य/केन्द्र-व्यवस्थापक को दी जायगी और वे सर्वान्वित परीक्षार्थी को इसकी सूचना देंगे।

परीक्षाफल सम्बन्धी नियम

१—प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत हैं। जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है, इनमें लिखित तथा क्रियात्मक परीक्षा के लिये अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित हैं।

२—उत्तीर्ण होने के लिये निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक नहीं होने चाहिये। निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम होने पर प्राप्तांक वृत्त के भीतर किये जाते हैं।

३—किसी विषय में ७५ प्रतिशत अंक पाने पर विशेष योग्यता मिलती है, सम्पूर्ण योग का ७५ प्रतिशत प्राप्तांक होने पर सम्मान सहित उत्तीर्ण घोषित होता है।

४—प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिये प्राप्तांक योग सम्पूर्ण निर्धारित अंकों का क्रमशः ६०, ४५ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिये।

५—यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह उस विषय में पूरक परीक्षा का अधिकारी होगा।

६—पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी जो केवल एक विषय में २८ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं वे पूरक परीक्षा के अधिकारी घोषित होने के साथ ही साथ स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी होंगे। इनकी उत्तर-पुस्तकों का अंशानुसंधान निःशुल्क होगा।

अज्ञान वाले के हस्ताक्षर

जांचकर्ता के हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य

[कृपया पत्रा उपादन]

१६७६

Request-39

6

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद [उत्तर प्रदेश]

डिग्री कालेज पट्टी, प्रतापगढ़ [उ०प्र०]

बी० ए० भाग २ परीक्षा १६७६ में प्राप्त अंकों का विवरण

परीक्षार्थी का नाम राधेश्वर राय सरोज अनुक्रमिक 60780
 आत्मज/आत्मजा महान राम सरोज

विषय	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक	प्राप्तांक				परीक्षा फल
			प्रथम प्रश्नपत्र	द्वितीय प्रश्नपत्र	तृतीय प्रश्नपत्र	प्रयोगात्मक	
हिन्दी	१००	३३%	23	29	-	-	52 उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण
राज. वि.	१००	३३%	26	28	-	-	54
मिथ्या शास्त्र	१००	३३%	24	26	-	-	50 श्रेणी द्वितीय
सं० भाषा तथा नैतिक शिक्षा	५०	३३%	-	-	-	-	26 विषय
प्राप्तांकों का योग (शब्दों में)					योग	182	में पूरक परीक्षा हेतु अधिकृत
					भाग-१ परीक्षा के प्राप्तांकों का योग	207	
					महायोग	389	

टिप्पणियाँ:- (१) श्रेणी व पूरक परीक्षा की व्यवस्था केवल भाग २ के लिए है। प्रथम श्रेणी के लिए ६०% द्वितीय श्रेणी के लिए ४५% एवं तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम ३३% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। श्रेणी निर्धारण भाग-१ व २ के अंकों के योग के आधार पर करने का प्राविधान है।

(२) जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा का प्राविधान है उन में लिखित एवं प्रायोगिक दोनों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(३) किसी प्रकार की त्रुटि या अन्तर की स्थिति में विश्वविद्यालय की सांख्यिक पन्जिका में अंकित अंक अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

(४) प्राप्तांक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क जमा करके विश्वविद्यालय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

अवध विश्वविद्यालय

फैजाबाद

लेखक

जांचकर्ता

दिनांक १६७६

Sr. Medical Officer

C. G. H. S.

Allahabad

प्राचार्य,
 डिग्री कालेज पट्टी,
 प्रतापगढ़।

University of Allahabad

9

Request-139

No. 1485



Original, Duplicate

Statement of Marks M. A. Final Examination 1981

Name Ram Swarup Singh Subject Political Science Roll No 410

Paper	Max Marks	Min Marks	Marks Obtained	Remarks
<u>I</u>	100		51	
<u>II</u>	100		53	
<u>III</u>	100		41	
<u>IV</u>	100		46	
<u>V</u>	100		57	
	100			
	100			
	100			Result Passed in Third Div.
	100			
Viva-Voce	100		36	
Practical ...	100			
Total of Marks obtained	600	216	279	
Marks obtained in M.A. Previous	500	180	210	
Grand Total	1100	396	489	

Note - Maximum marks of each Paper 100, minimum Pass Marks 36% of the aggregate 1st Class 60% or more, 11nd Class 48% or more

USME
(Prepared by)

Rose
(Checked by)
Full Signature

Hemant Singh
Deputy Registrar

SENATE HOUSE
Allahabad.
The 19/10/1981

Attested
[Signature]
Sr. Medical Officer
C. G. H. S.
Allahabad

[Signature]
17/10/1981

11

University of Allahabad

Request-139

No. 984



Original / Duplicate

Statement of Marks LL. B. IIIrd Year Examination 1984

Name... Ravi Shankar Singh

Roll No... 12789

Father's Name... B. Singh

Subject & Paper	Max. Marks	Minl. Marks	Marks obtained	Remarks
Civil Procedure Pleadings Conveyancing and Arbitration	100	36	49	
Evidence and Limitation	100	36	60	
Land Law	100	36	75	
Administrative Law	100	36	✓	
Labour Law	100	36	52	
Private International Law	100	36	✓	
Taxation	100	36	61	
First Div. ✓	Total of LL. B. III year		297	/500
Second Div. ✓	Total of LL. B. I		286	/600
Failed	Total of LL. B. II		307	/600
	Grand Total		890	/1700

Minimum Pass marks 45% of the aggregate
I Class 60% II Class 45%

Attested Ravi 4-10-94
Sr. Medical Officer
C. G. H. S.
Allahabad

Date... 16/10/84

SENATE HOUSE
Allahabad.

(Prepared by)

(Checked by)

Full Signature

DEPUTY REGISTRAR

NB ; The mark sheet is issued subject to authenticity of marks available in the University records.

17/10/94
14/10/94

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ.प्र.)



Request-139

राष्ट्रीय सेवा योजना

इकाई पक्ष महाविद्यालय, प्रतापगढ़ (उ.प्र.)

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ने राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई महाविद्यालय, प्रतापगढ़ (उ.प्र.) में (कक्षा) के/की छात्र/छात्रा के रूप में वर्ष में योजना के अन्तर्गत विम्नानुसार कार्य किया।

* (1) १४.११.६८ से २२.११.६८ तक में आयोजित विशेष शिविर में भाग लिया।

* (2) सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष में घंटे तथा वर्ष में घंटे निर्भरित कार्य किया।

(* जो लागू न हो उसे काट दें।)

अतः उक्त छात्र/छात्रा को उसके योगदान के उपरान्त यह प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

कुलसचिव, अवध विश्वविद्यालय
(विश्वविद्यालय कोऑर्डिनेटर)

Sr. Medical Officer
C. G. H. S.
Allahabad

परियोजनाधिकारी
राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई
COORDINATOR
National Service Scheme
Degree College Fari
PRATAPGARH (U.P.)

कुलपति
अवध विश्व विद्यालय, फैजाबाद

दिनांक

Handwritten signature and date: 17/11/94

Request-139

3


अनुक्रमांक २६८८६९

क्रम-संख्या

112449

सांख्यिक शिक्षा परिषद्, अयोध्या

उत्तर प्रदेश



हाई स्कूल परीक्षा, १९७५

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी/परीक्षार्थिनी, जिसका अभिलेखानुसार विवरण निम्नवत् है, ने मार्च/अप्रैल, १९७५ को हाई स्कूल परीक्षा ~~द्वितीय~~ तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है और ~~_____~~ X में विशेष योग्यता प्राप्त की है।

नाम राम रज रज सरोज
 पिता का नाम श्री मदन राम सरोज
 जन्म-तिथि चौदह जुलाई उन्नीस सौ सत्तावन (१४-७-१९५६)
 विद्यालय/केंद्र का नाम इंटर मीडियट कॉलेज, पट्टी
पता पट्टी

परीक्षा-विषय :-

- १- हिन्दी संस्कृत
- २- गणित/गृह विज्ञान वागारिकशास्त्र
- ३- क्यांग्रीजी X

इसिहास्यार :
 दिनांक ०५ जून, १९७५ ई०।

Attested
[Signature]
 Sr. Medical Officer
 C. G. H. S.
 Allahabad

(रघुनन्दन सिंह),
 सचिव।

[Handwritten signature]
 17/6/75

Request-139


अनुसंधान १५७६८७

क्रम-संख्या

83475

शिवा परिषद्

सिद्ध सिद्ध



अ
प्र
स
स

इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९७७

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी/परीक्षार्थिनी, जिसका अभिलेखानुसार विवरण निम्नवत् है, ने मार्च/अप्रैल, १९७७ की इण्टरमीडिएट परीक्षा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है और में विशेष योग्यता प्राप्त की है।

नाम रामस्वरूप सरोज
पिता का नाम श्री मंगल राम सरोज
विद्यालय / केंद्र का नाम रामराज इण्टरमीडिएट कॉलेज पट्टी प्रतापगढ़

परीक्षा-विषय :

- १- साहित्यिक हिन्दी/सामान्य हिन्दी संस्कृत
- २- शिक्षाशास्त्र इतिहास (भारतीय)
- ३- नागरिकशास्त्र

Attested


Sr. Medical Officer
C. G. H. S.
Allahabad

(रघुनन्दन सिंह)
सचिव।

इलाहाबाद :
दिनांक २६ जून, १९७७ ई०।

मुख्य सचिव
17/07/94

Request-139



कला-स्नातक

प्रमाणित किया जाता है कि रामस्वरूप सरोज
(डिग्री कालेज पट्टी, पुतापगढ़)

ने इस विश्वविद्यालय से १९७६ की परीक्षा

कला-स्नातक (बैचलर आफ आर्ट्स) की उपाधि

द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की ।

परीक्षा के विषय : संस्कृत भाषा
संस्कृत साहित्य राजनीतिशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र


Handwritten signature and date
फैजाबाद 11/10/94

Attested
Signature
Sr. Medical Officer
C. G. H. S.
Allahabad

Signature
कुलसचिव

Signature
कुलपति

UNIVERSITY OF ALLAHABAD



Request-139

Master of Arts

Roll No. 410

This is to certify that Ram Swaroop Saroj

Son/Daughter of Sri B. Ram

obtained the degree of Master of Arts in this University
in the Examination of 1981; in Politics,
and that he/she was placed in the Third class.

Medium of Examination: Hindi/English.

Attested

[Signature]


4/10/94
Sr. Medical Officer
C. O. H. S.
Allahabad

[Signature]
17/10/94
University of Allahabad:

The 1st June, 1983 19
7th November, 1989

[Signature]
Vice-Chancellor

UNIVERSITY OF ALLAHABAD



12
2000-139

Bachelor of Laws

Roll No. 12789

This is to certify that Ram Swaroop Saroj
Son/Daughter of Sri Bhagwan Ram Saroj
obtained the degree of Bachelor of Laws in this University
in the Examination of 1984; and that he/she was placed
in the Second class.

Medium of Examination: Hindi/English.

The subjects in which he/she was examined were:

- Indian Legal and Constitutional History,
- Law of Contracts,
- Law of Torts,
- Mohammadan Law,
- Constitutional Law of India,
- Criminal Law and Procedure,
- Legal Theory and Comparative Law,
- Hindu Law,
- Equity, Mortgages, Trusts and other Fiduciary Relations,
- International Law,
- Transfer of Property Act and Easements,
- Partnership, Companies and Negotiable Instruments,
- Civil Procedure, Pleadings, Conveyancing and Arbitration,
- Evidence and Limitation,
- Land Law,
- Administrative Law,
- Labour Law,
- Private International Law,
- Taxation.

University of Allahabad:

The 16th July, 1988

The 7th November, 1989

Handwritten signature and date
17/10/94

Attest of

Handwritten signature
Sr. Medical Officer/1994
C. O. H. S.
Allahabad

Handwritten signature
Vice-Chancellor.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

Request - 139

DATED: ALLAHABAD: November 11, 2002.

NO. 1306 /DR(S)/2002

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 5310/II-4-2002-45(28)/97 T.C. dated October 19, 2002 Sri Ram Swaroop Saroj, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Mau

BY ORDER OF THE COURT.

O. N. KHANDELWAL
REGISTRAR GENERAL

No. 268 / DR(S)/ 2002, Dated: Allahabad: November 11, 2002

Copy forwarded for information & necessary action to

1. Pramukh Sachiv, U.P. Shasan, Niyukti Vibhag, Lucknow
2. Pramukh Sachiv, Nyaya & Vidhayee Vibhag, U.P. Shasan, Lucknow
3. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P. Lucknow.
5. The Joint Director (Treasuries), Camp Officer, First Floor, New Treasu. Building, Kutchery Road, Allahabad
6. The District & Sessions Judge, Mau with reference to U.P. Government Appointment/Notification No. 5310/II-4-2002-45(28)/97 T.C. dated October 19, 2002 (photo copy enclosed)

The candidate Civil Judge, Junior Division mentioned above may be permitted to join his duty in your Judgeship of his posting.

The certificate of taking over charge by the aforesaid candidate Civil Judge, Junior Division may please be sent to the Deputy Registrar (Services), High Court, Allahabad forthwith.

It is to add that the candidate Civil Judge, Junior Division may be given training as per instructions contained in Court's Circular letter No. 55/IV f-80, dated May 30, 1951 and No. 21 dated February 14, 1969, till he is directed to proceed to take over training in the Institute of Judicial Training & Research, U.P., Lucknow.

It is further to add that the candidate Civil Judge, Junior Division may be attached to the Senior Civil Judge, Junior Division/Civil Judge, Senior Division/Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate at the headquarter or out-lying as the case may be to receive training before starting his regular work. He should sit with them for four weeks and watch proceedings in the courts in order to gain experience of actual procedure followed in the trial cases. He should take notes of the cases attended by him, frame issues, take notes of evidence, write judgment and show the same to them. His notes should be perused by them or by Senior Officers so instructed by the District Judge every week and comments should be noted thereon for his instruction and guidance. He should also attend the court of a Judge hearing Civil Appeal for another week. He should also attend the court of District Judge for at least four Saturdays or on other days when the District Judge do miscellaneous work. He should be given an opportunity to inspect various offices and familiarise himself with the office routine.

Request-139

He should also be given training in Criminal work for three weeks. For two weeks he should sit with a Senior Magistrate trying cases and for one week with a Magistrate who commits cases to sessions. He should take notes of the evidence and write judgments which should be perused by the District Judge or by an Additional District & Sessions Judge nominated by the District Judge, and comments should be noted thereon for his guidance.

All the notes prepared by him with comments should be forwarded to the Court.

7. **Sri Sri Ram Swaroop Saroj, Varisth Lipik, Mandal Prabandhak Uttar Railway, Allahabad** along with photo copy of Government Appointment/Notification No. 5310/11-4-2002-45(28)/97 T.C. dated October 19, 2002.

He shall take over charge of his posting at Mau immediately.

He should note that his appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Seva is purely temporary and until he is absorbed and appointed as permanent Civil Judge Junior Division, he shall be subjected to general conditions of services applicable to temporary Government Servant contained in Government Notification No. 20175-Niyukti-3, dated June 11, 1975 and also under the condition laid down in Government Appointment/Notification No. 5310/11-4-2002-45(28)/97 T.C. dated October 19, 2002.

- 8 The Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow with the request to place this Notification before the Hon'ble Senior Judge and Hon'ble the Administrative Judges for their Lordships' kind perusal
- 9 The Registrar (Protocol), High Court, Allahabad
- 10 The Joint Registrar (Confidential), High Court, Allahabad
- 11 The Joint Registrar (Budget), High Court, Allahabad
- 12 The Officer On Special Duty (Computer), High Court, Allahabad
- 13 The Deputy Registrar (General), High Court, Allahabad
- 14 The Section Officer (Admin A-3) Section, High Court, Allahabad
- 15 The Director, Printing and Stationery, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette
- 16 P.S. to Hon'ble Administrative Judge, Mau with the request to place this Notification before Hon'ble the Administrative Judge, Mau

BY ORDER OF THE COURT,


(S.K. SRIVASTAVA)
DEPUTY REGISTRAR

नियुक्ति अनुभाग-4
 संख्या-5376/दो-4-2002-451281/97डी.जी.
 तारीख: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2002
 नियुक्ति/विज्ञापित

Sequence-139

माओ उच्चतम न्यायालय की दिल्ली में दायर अपील या चिका संख्या-211/2001 की रागस्वस्व सरोज वनाम प्रदीप सुक्का व अन्य के माओ उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 22-7-2002 का समाहर करते हुये और माओ उच्चतम न्यायालय के अर्पित माओ संख्या-198/डी0आर0।एस।/2002 दिनांक 22-8-2002 की संतुष्टि के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ0प्र0 न्यायिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 1990 के आधार पर अनुसूचित जाति के उच्चतम अभ्यर्थी श्री रागस्वस्व सरोज सम्प्रति वरिष्ठ लिपिक, मण्डल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, इलाहाबाद को उक्त सेवा में अस्थायी सिविल जज। नु0डि0। के पद पर नियुक्त करते हुये जनपद न्यायालय, मउ में तैनात किया जाता है।

2- उक्त नियुक्ति इस परीक्षा/नियुक्तियों के सम्बन्ध में माओ न्यायालयों में दायर या चिकाओं में पारित अन्तिम निर्णयों के अधीन होगी तथा उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता इस सेवा में पहले नियुक्ति किये गये अथवा बाद में नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थियों के साथ बाद में निर्धारित की जायेगी।

राजेश्वर मौनशाह
 प्रमुख सचिव।

संख्या - 111/दो-4-2002-तद दिनांक।

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
 निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को उ0प्र0 मन्त्र के कार्यालय हिन्दी उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- 2- महा निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके अर्पित माओ संख्या-198/डी0आर0।एस।/2002 दिनांक 22-8-2002 के संदर्भ में इस विज्ञापित की प्रति तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन प्रपत्र संग्रहनों सहित इस संविदा के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थी यदि माओ उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसकी स्थिति से इसका तुरन्त आगमन कराये जा सकता है।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पद संख्या 3/13/सी-3/93-94 दिनांक 15-4-2000 के संदर्भ में।

726

D.R.(S)

egp Gen.
 21.10.2002

50(1)
 22.10.2002

Lu Puskkar
 23.10.2002

2/-

- 1- कोषागार, कोषागार निदेशालय 3090 शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन इलाहाबाद ।
- 5- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मऊ को इस मंतव्य सहित प्रेषित किया अपने जनपद में तैनात किये जा रहे अभ्यर्थी द्वारा योगदान प्रस्तुत करने पर महा निबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा शासन को नियुक्ति अनुभाग-4 को तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, 3090 गोमतीनगर लखनऊ।
- 7- न्याय अधीनस्थ न्यायालय। अनुभाग-1।
- 8- प्रमुख सचिव न्याय एवं विधायी विभाग 3090 शासन ।
- 9- श्री रामस्वरूप सरोज, वरिष्ठ लिपिक, मंडल प्रबन्धक उत्तर रेलवे, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महा निबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित करें तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण करें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते है तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में उनका कोई दावा फिर इस सेवा में नियुक्ति के लिये नहीं रहेगा। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महा निबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा प्रमुख सचिव 3090 शासन नियुक्ति अनुभाग-4 को तत्काल भेजें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज।जू०डि०। के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान 3090 लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

अभ्यर्थी जब तक सिविल जज।जू०डि०।के पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं किया जाता है तब तक वह अस्थायी कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिनियम संख्या-20/1/71 नियुक्ति-3 दिनांक 11-6-75 में दी गयी शर्तों के भी अधीन रहेगी। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

10- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(Signature)

रामकृष्ण प्रसाद ।

विशेष सचिव

o/c